

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सूचना आयोग के ऑनलाइन पोर्टल का कथि लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य सूचना आयोग कार्यालय में राज्य शासन के द्वारा तैयार कथि गए राज्य सूचना आयोग के ऑनलाइन वेब पोर्टल का शुभारंभ कथि।

प्रमुख बदि

- इसके साथ ही भारत में छत्तीसगढ़ ऐसा छठवाँ राज्य बन गया है, जहाँ ऑनलाइन की प्रक्रथि के तहत तीनों स्तर (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील) में आवेदक आवेदन कर सकता है।
- मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस अवसर पर सुझाव देते हुए कहा कि ऑनलाइन वेब पोर्टल को हनिदी में बनाया जाए ताकि जो लोग कंप्यूटर के मामले में कम शक्ति हैं उन्हें इसका उपयोग करने में आसानी हो एवं जसिका लाभ आम नागरिकों को अधिक से अधिक मलि सके।
- उन्होंने सुझाव दथि कि सूचना का अधिकार को और प्रभावी बनाने के लथि जनसंपर्क वभिग और आयोग मलिकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शार्ट वीडथि बनाकर ऑनलाइन वेब पोर्टल की पूरी प्रक्रथि को बताया जाना चाहथि, जसिसे आम नागरिक इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।
- उन्होंने कहा कि उच्च शक्ति वभिग के माध्यम से कॉलेज स्तर पर और राजीव युवा मतान क्लब के सदस्यों के माध्यम से भी सूचना का अधिकार के ऑनलाइन वेबपोर्टल का हनिदी में प्रचार-प्रसार कराया जाए तो ज्यादा लाभकारी होगा।
- मुख्य सूचना आयुक्त एम. के. राउत ने कहा कि यह ऑनलाइन वेब पोर्टल 24x7 दनि चालू रहेगा। आवेदक, जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को ऑनलाइन प्रेषति कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधनियम के तहत वांछति शुलक भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
- मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में लगभग 14 हजार से अधिक जनसूचना अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ के सभी वभिगों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारथि एवं नोडल अधिकारी का वविरण भरकर संबंधति को अग्रेषति कर सकते हैं। संबंधति प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को इसका वेरफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरण हो जाएगा।
- एम. के. राउत ने बताया कि राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को इसका लाभ मलि सकेगा। आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन अपलोड करने के साथ-साथ ऑनलाइन शुलक जमा कर सकता है। आवेदकों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही वभिगीय कार्यालयों में स्वयं आकर आवेदन जमा करने अथवा डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
- उन्होंने कहा कि पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन पंजीयन होने के बाद जनसूचना अधिकारी की जवाबदेही बढ़ जाएगी और 30 दविस के भीतर ही आवेदक को ऑनलाइन जानकारी देने के लथि बाध्य होगा।